

दिनांक

2 07
19

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक छोटा मथुरा सावैयाँ, पिता- स्व0 सतारी सावैयाँ, ग्राम- गितिलपी, थाना- मुफसिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- गितिलपी, थाना- 580, खाता नं0- 209, प्लॉट नं0- 418, रक्वा- 0.06 एकड़ भूमि क्रेता कैरा पुरती, पिता- स्व0 वंशीधर पुरती उर्फ लक्ष्मण पुरती, ग्राम- हरिला, थाना- मुफसिल के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।


अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के दादा के नाम पर खतियान में दर्ज है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।


अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक- 483, दिनांक- 16.07.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दास्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ईलाज करवाने तथा मकान बनाने हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता कैरा पुरती, पिता- स्व0 वंशीधर पुरती उर्फ लक्ष्मण पुरती, ग्राम- हरिला, थाना- मुफसिल, के पास 4,90,000.00/- (चार लाख नब्बे हजार) रूपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों मुफसिल थाना के निवासी हैं। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.30 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पति पर्याप्त है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता छोटा मथुरा सावैयाँ, पिता- स्व0 सतारी सावैयाँ, ग्राम- गितिलपी, क्रेता कैरा पुरती, पिता- स्व0 वंशीधर पुरती उर्फ लक्ष्मण पुरती, ग्राम- हरिला के पास 4,90,000.00/- (चार लाख नब्बे हजार) में मौजा- गितिलपी, थाना- 580, खाता नं0- 209, प्लॉट नं0- 418, रक्वा- 0.06 एकड़ जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापित।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।